

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:—स. 3-18 (01)अराज/स्था/अभि./2016/

दिनांक 21-3-17


प्रेषित:—

3787-821

समस्त सहायक निदेशक अभियोजन,
राजस्थान

विषय:—परिवीक्षाधीन सहायक अभियोजन अधिकारियों द्वारा 02 वर्ष का परिवीक्षा काल पूर्ण करने पर वेतन निर्धारण बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 2488-93 दिनांक 22.02.2017 के द्वारा जिन सहायक अभियोजन अधिकारियों के नियमित करने के आदेश जारी किये गये हैं, इन सहायक अभियोजन अधिकारियों का वेतन निर्धारण राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2008 के नियम 22 के क्रम में इन नियमों की अनुसूची (V) के अनुसार पे बैंड-(2) 9300-34800 ग्रेड-पे(12) 4200 में मूल वेतन 14430/-पर किया जावे।


(अशोक कुमार बम्नावत)
अति० निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर